न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 64/2017 राजस्व वाद

उनवान

1. रफीक खां पिता इमामुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा
—— (वादी)

बनाम

1. अजीमुदीन खां पिता इमामुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता वादी)
2. पेरोकार सरकार............विपक्षी क्रम–02

निर्णय

दिनांक – 13.03.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादीगण अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादी की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ग्राम अलीनगर प0ह0 बेंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वंत 2070 से 2073 खाता संख्या 7 की आ0न0 556, 557, 627, 628 कुल किता 04 कुल रकबा 24–02 बीघा आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादीया व प्रतिवादी गण संख्या 1 का हिस्सा निहित हैं। वादी शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादी बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार फरमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादी का नाम खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही स्थाई निषेधाझा की डिक्री भी पारित की जावे।

दी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दिनांक 11.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को जारी सम्मन नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 13.03.2017 पर उपस्थित होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमती व्यक्त करते हुए प्रमाण में अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

उपस्थित वादी मय अधिवक्ता वादी श्री मुरारी जोशी व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 13.03.2018 पर न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण पर सहमति व्यक्त की। वाद पत्र आराजियात बटंवारा बाबत हैं। प्रस्तुत बहस वादपत्र पर मनन किया गया। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण के खातेदार होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया ज़ाने हेतु निवेदन किया गया। वादी/अधिवक्ता वादी के कथनो से हम सहमत है कि वादपत्र बाबत आराजीयात विभाजन का प्रस्तुत हुआ है एंव वादी विवादित आराजीयात में बतौर सहखातेदार होकर अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। एंव इसके विरूद्ध प्रकरण में कोई प्रतिरोध/खण्डन भी रिकार्ड पर उपलब्ध नही है। अतः वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक डिकी किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

दिनांक – 13.03.2018

वाद पत्र वादी सहमति से प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम अलीनगर प0ह0 बेंरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 7 की आ0न0 556, 557, 627, 628 कुल किता 04 कुल रकबा 24–02 बीघा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हक हिस्से अनुसार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा